>

Title: Need to undertake implementation of social welfare schemes under Corporate Social Responsibility policy of Central Public Sector Undertakings in an equitable and unbiased manner.

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई): केन्द्रीय मंत्रालयों के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपने निवल लाभ में से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय औन अन्य विकास के कार्यो को करवाए जाने के लिए वर्ष 2011 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत सार्वजनिक उपक्रमों को सामाजिक कल्याण के कार्यो को करवाने की बात है पर दुख की बात है कि तेल कंपनियों और इस्पात मंत्रालय की कंपनियों द्वारा ऐसे कार्यो को करने में भेदभाव अपनाया जा रहा है। ऐसी जानकारी कई माध्यम से मिल रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जन लोगों के हाथ में बागडोर सीएसआर के तहत कार्यों को करवाए जाने की है, वे इसका उपयोग कर मनोवांछित क्षेत्रों में ही विकास कार्य करवा रहे है, जो न्यायसंगत नहीं है।

मेरी मांग है कि सीएसआर के तहत सामाजिक हित के जो कार्य विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा करवाएं जाए, वह देश के सभी जिलों में समान रूप से हों और उसमें क्षेत्रीय सांसदों के सुझावों को भी प्राथमिकता दी जाए।